न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/82/2025	2025/386	18.09.2025	23.04.2026

1– विद्या पुत्री कुडियाराम जाति चमार/मेधवाल निवासी ग्राम माछरोली तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 08.08.2025 नामान्तकरण संख्या 730 वाके ग्राम माछरोली तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

उपस्थित–

01. श्री रामबीर गुर्जर

–वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 730 निर्णय दिनांक 08.08.2025 वाके ग्राम माछरोली तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि कुडिया राम पुत्र चुन्नीराम कौम चमार/मेधवाल निवासी माछरोली का देहान्त हो गया, मृतक कुडियाराम की आराजी का विरासत का नामान्तकरण संख्या 730 पटवारी हल्का द्वारा बाद–जॉच कर नियमानुसार दर्ज किया गया है। नामान्तकरण संख्या 730 के बाद जो जमाबंदी कम्प्यूटराईज तैयार की गयी उसमें समस्त वारिसान का नाम दर्ज किया गया है, किन्तु मिन अपीलान्ट का नाम अंकित नही हुआ। अपीलान्ट को जानकारी होने पर एक प्रार्थना पत्र शुद्वि बाबत पेश किया गया। जिस पर रिपोर्ट पटवारी तलब की गयी। रिपोर्ट पटवारी में स्पष्ट अंकित किया है, कि विधा पुत्री कुडियाराम का 1/16 भाग है, जो जमाबन्दी में नामान्तकरण संख्या 730 का नोट लगाते समय सहवन से दर्ज करने से रह गया इस लिऐ जर्य शुद्विपत्र नाम जमाबंदी में जोडा जाना उचित है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि मृतक कुडियाराम की आराजी का विरासत का नामान्तकरण संख्या 730 पटवारी हल्का द्वारा बाद–जॉच कर दर्ज किया गया है। बाद जो जमाबंदी कम्प्यूटराईज तैयार की गयी उसमें समस्त वारिसान का नाम दर्ज किया गया है, किन्तु अपीलान्ट का नाम अंकित नही हुआ। नाम जोडे जाने हेतु प्रार्थना पत्र शुद्वि–पत्र पेश किया गया। जिस पर रिपोर्ट पटवारी तलब की गयी। रिपोर्ट पटवारी ने अंकित किया है, कि विधा पुत्री कुडियाराम का 1/16 भाग है, जो जमाबन्दी में नामान्तकरण संख्या 730 का नोट लगाते समय सहवन से दर्ज करने से रह गया इस लिऐ जर्य शुद्विपत्र नाम जमाबंदी में जोडा जाना उचित है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 730 वाके ग्राम माछरोली निर्णय दिनाक 08.08.2025 निरस्त किया है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण की पुनः जॉच कर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिवत पुनः निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल–तिजारा (राज०)